रसूल (स0) का फ़रमान

अल्लामा सै० मुहम्मद रज़ी साहब क़िब्ला, कराची
हिन्दी रूपः डॉ आरिफ़ अब्बास

कुरआनी तालीमात और कुरआनी निज़ामे ज़िंदगी की बुनियाद जिस वाहिद नज़रिये पर है वह सिर्फ़ हक़ीक़त पसंदी है। इन तालीमात का रुख़ न शख़सियत परस्ती की तरफ़ है और न ख़ित्ते और क़ौम परस्ती की तरफ़, न उनका ताल्लुक़ किसी ख़ास नस्ल से है और न ख़ास रंग व ज़बान से। उनका हक़ीक़ी मक़सद यही है कि बनी नौए इंसान को अल्लाह ने जिस ग़रज़ के लिए पैदा किया है वह पूरी हो और इंसान इसी कामिल तरीन निज़ाम के मुताबिक़ ज़िंदगी गुज़ारे जो अल्लाह ने उसके लिए मुक़र्रर व मुअय्यन कर दिया है बुनियादी तौर पर कुरआनी तालीमात का ख़िताबे समाज के हर फ़र्द से है और इस ख़िताब में अमीर व ग़रीब, हाकिम व महकूम, आज़ाद और ग़ुलाम, शाहो गदा सब ही एक सफ़ में नज़र आते हैं।

हज़रत रिसालतमआब[स०] ने एक मौक़े पर फ़रमाया था कि बनी इस्राईल की तबाही व बर्बादी का एक बड़ा सबब ये था कि वह शरई अहकाम को नाफ़िज़ करने में मुजरिम की शख़सियत को सामने रखते थे। यानी अगर कोई ग़रीब व मुफ़लिस और छोटा आदमी कोई जुर्म करता था तो उसको सज़ा देते थे लेकिन अगर वैसा ही जुर्म कोई बड़ा आदमी करता था तो उस से कोई पूछताछ नहीं की जाती थी इसलिए मेरी उम्मत को हमेशा इस तरह की तफ़रीक़ से बचना चाहिए। हुज़ूरे अनवर[स०] की पूरी पाक ज़िन्दगी इस कुरआनी उसूल का नमून-ए-कामिल थी। आपने किसी मौक़े पर भी इलाही अहकाम नाफ़िज़ करने में तबक़ाती क़िस्म का शक तक नहीं पैदा होने दिया और अपनी सीरत से इस बात को साबित कर दिया कि इस्लाम की सारी की सारी तालीमात की बुनियाद सिर्फ़ हक़ीक़त पसन्दी पर क़ायम है और इसके अलावा कोई दूसरा रुख़ और रुजहान उनमें नहीं पाया जाता। कुरआने हकीम में कसीर मक़ामात पर इसी हक़ीक़त पसन्दी की तरफ़ इशारा फ़रमाया गया है। सूर-ए-बक़रा में अल्लाह का इरशाद हैः यानी ''नेकी इसका नाम नहीं है कि तुम इबादत के वक़्त मश्रिक़ और मग़रिब की तरफ़ अपने चेहरे कर लिया करो'' और फिर फ़रमाया है असल में नेकी तो उस शख़्स की है जो अल्लाह पर सच्चे दिल से ईमान लाए। इसी तरह क़यामत के दिन पर, फ़रिश्तों, अल्लाह की किताबों और उसके पैग़म्बरों पर ईमान लाए और अपना माल अल्लाह की मुहब्बत में क़राबतदारों, यतीमों, मोहताजों, परेशान हाल मुसाफ़िरों और आम ज़रूरतमन्द सवाल करने वालों को दे और लोगों की गर्दनें छुड़ाने में ख़र्च करे, नमाज़ पाबन्दी से पढ़ा करे, ज़कात बाक़ायदा अदा किया करे और ये लोग जब कोई अहद करें तो उसे पूरा करें और फ़क़्रो फ़ाक़ा और तकलीफ़ व बीमारी में सब्र से काम लें और जब कभी जेहाद का मौक़ा आए तो उसमें में इस्लाम के दुश्मनों के मुक़ाबले में साबित क़दम रहें। ऐसे ही लोग सच्चे मोमिन हैं और यही मुत्तक़ी और परहेज़गार हैं। इस आयत में बनी नौए बशर के लिए एतेक़ादी और अमली हैसियत से एक ऐसे निज़ामे ज़िन्दगी की तालीम दी गई है जो उसके वुजूद के हर-हर जुज़ पर हावी है। उसको लाखों तरह की परस्तिशों से बचा लिया गया जिसमें उसकी हलाकत व तबाही के सारे ही अस्बाब जमा थे और सिर्फ़ अकेले अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया गया कि उसी में उसकी फ़लाह व नजात पोशीदा है

शेष....... पेज 11 पर

तो उसको पनाह दो यहाँ तक कि वह अल्लाह का कलाम सुन ले फिर उसे उसकी अमन की जगह वापस पहुँचा दो।'' (सूरए तौबा, आयतः 6) आयते करीमा बहुत से नुक्तों पर रौशनी डालती है (1) तहक़ीक़ का रास्ता हर एक के लिए खुला हुआ है। कोई भी शख़्स किसी भी अक़ीदे का क्यों न हो, अगर तहक़ीक़ का शौक़ीन है तो उसे आज़ादी के साथ जुस्तजू के लिए मौक़ा देना मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। (2) तहक़ीक़ के बीच उसे पूरी आज़ादी के साथ पूरी हिफ़ाज़त की ज़िम्मेदारी भी मुसलमानो की है, उसे कोई चोट न पहुँचे और अम्न वाला माहौल फ़राहम किया जाए। (3) तहक़ीक़ के बाद तहक़ीक़ का नतीजा जो भी हो, किसी मुसलमान को हक़ नहीं कि उस मुश्रिक पर अपना नज़रिया ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश करे। (4) उस मुश्रिक की दलीलें इंतेहाई सब्र और सुकून से सुनी जाएं और मुसलमान इस्लाम की हक़्क़ानियत की दलीलें उसके सामने पेश करें और उसे पूरा मौक़ा दिया जाए कि पूरी पहचान के बाद वह हक़ को क़ुबूल करे और अपनी मर्ज़ी और इरादे से बातिल को छोड़े। (5) जब वह कह दे कि मेरी तहक़ीक़ पूरी हो गई है तो उसके बाद मुसलमानों को तहक़ीक़ का नतीजा पूछने का इख़्तियार नहीं है, बल्कि पहले उसे ऐसी जगह पहुँचाया जाए, जहाँ उसे अमन का पूरा यक़ीन हो ताकि वह वहाँ अपने अक़ीदे का आज़ादी से इज़हार कर सके। एतेराज़ करने वालों के सारे एतेराज़ एक तरफ़ ये आयते करीमा एक तरफ़। ये आयते करीमा क्या है? मौला अली[अ०] की ज़ुलफ़िक़ार है जो दुश्मनों के सारे हमलों को अकेले ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। (बशुक्रिया रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा (उर्दू) 31 दिसम्बर 2010[ई०])

शेष... रसूल[स०] का फ़रमान

इसलिए कि इंसान की नजात और फ़लाह ग़ैरुल्लाह के बनाए हुए नाक़िस निज़ाम में मुमकिन नहीं हो सकती और अगर हो सकती है तो सिर्फ़ इलाही निज़ाम पर अमल करने में। क़ुरआने हकीम ने हमें बताया है कि इंसान का असली हाकिम और मालिक और ख़ालिक़ व राज़िक़ सिर्फ़ अल्लाह है और उसी के हुक्म पर चलने में उसकी नजात है।

इक़्तेसादी पहलू के साथ ही इस आयत में इंसान के अमली शोबे के लिए कुछ बुनियादी उसूल बताए गए हैं। ग़रज़ इंसानी अक़दार की हिफ़ाज़त और इंसान के इन्फ़ेरादी और इज्तेमाओी हुक़ूक़ और ज़िम्मेदारियों का जिस तरह इस्लाम ने सबक़ दिया है उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती।

हयाते इंसानी के इन दो पहलुओं से मुताल्लिक़ क़ुरआने हकीम ने जो इन्तेहाई मज़बूत निज़ाम हमें बताया है वह ज़मान व मकान की हदबन्दियों से आगे और आफ़ाक़ी है और क़यामत तक इसमें कोई तबदीली नहीं की जा सकती। ये अज़ीम निज़ाम क़ुरआने हकीम की सूरत में हमें रमज़ान ही के मुबारक महीने में दिया गया है जिसका हर दिन बरकतों और रहमतों का ख़ज़ाना है, ख़ासकर इसके आख़िरी जुमे यानी जुमतुल विदाअ की फ़ज़ीलत की तो इन्तेहा ही नहीं है। मुबारक हैं वह अल्लाह के ख़ास बन्दे जो इस अज़ीम दिन की बरकतों से महरूम न रहें।